बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

कटिहार जिला के बरारी प्रखंड अन्तर्गत नरेगा के तहत मिट्टी भराई कार्य की निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5693 दिनांक 27.09.2011 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में योजना संख्या–1/2008–09 एवं 3/2008–09 में क्रमशः रू0–1,99,572/– एवं रू0–88,445/– का अधिकाई भुगतान करने तथा योजना सं0–05/2007–08 में रू0–3,94,979/– का अधिकाई भुगतान करने संबंधी आरोपों पर श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन सहायक अभियंता, प्रखंड बरारी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3506 अनु0 दिनांक 06.12.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 17.11.2018 की अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से समीक्षा करायी गयी। अभियंता प्रमुख द्वारा समीक्षोपरान्त यह मंतव्य दिया गया कि "श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन सहायक अभियंता, प्रखंड बरारी, कटिहार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि अधिकाई व्यय राशि की वसूली श्री पासवान से की गयी है। स्पष्टतः इनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरती गयी है। वर्तमान में भी सरकार को हुई क्षति की वसूली कर ली गयी है। राशि की वसूली हो जाने से ये दायित्व मुक्त नहीं हो सकते हैं। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

3. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–148 दिनांक 08.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजीत कुमार, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1, का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. श्री पासवान के दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या–1530 दिनांक 25.10.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

5. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4395 अनु0 दिनांक 24.12.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को इस आधार पर अप्रमाणित माना गया कि श्री पासवान से मामले में राशि की वसूली कर ली गयी है। साथ ही पंचायत के कार्य में Compaction का प्रावधान नहीं था। कार्य समाप्ति के तीन वर्षों के पश्चात् Natural Compaction, Flood/ Extra rain की गणना इत्यादि से क्षरण होने का अनुमान नहीं लगया जा सकता है। निगरानी विभाग द्वारा दो वर्षो में 20 प्रतिशत क्षरण होने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि इस मामले में श्री पासवान से राशि की वसूली हो

चुकी है। अतएव इस मामले में विभागीय कार्यवाही के उपरान्त शास्ति का अधिरोपन एक प्रकार का Double Jeopardy का मामला बन सकता है।

6. श्री पासवान के विरूद्ध आरोप नरेगा/मनरेगा योजना से संबंधित होने के कारण जॉच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक 892 दिनांक 28.04.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 1622057 दिनांक 06.03.2023 द्वारा निम्न मंतव्य उपलब्ध कराया गया है "संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पंचायत के कार्य में Compaction का प्रावधान नहीं था। कार्य समाप्ति के दो वर्षों के पश्चात् Natural Compaction, Flood/ Extra rain की गणना इत्यादि से क्षरण होने का अनुमान नहीं लगया जा सकता है। निगरानी विभाग द्वारा दो वर्षो में 20 प्रतिशत क्षरण होने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। इस मामले में श्री पासवान से राशि की वसूली की जा चुकी है। श्री पासवान से राशि की वसूली इस बात को स्पष्ट करती है कि श्री पासवान द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी है। अतएव ये दोषी प्रतीत होते हैं।"

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री पासवान से विभागीय पत्रांक 1477 दिनांक 21.06.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

8. श्री पासवान के पत्रांक शून्य दिनांक 07.07.2023 द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि उनके द्वारा जो राशि जमा की गयी, वह कुर्की जप्ति/गिरफ्तारी वारंट के भय से किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाना कि राशि की वसूली कर ली गयी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कार्य में लापरवाही बरती गयी है। यह परिस्थितिजनक स्थिति के विपरीत है। मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी के कार्यों में संपीडन का कोई प्रावधान नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में तीन वर्षो के बाद मिट्टी की मात्रा में क्षरण प्राकृतिक कारणों से कितना गुणा होगा, का आकलन किया जाना संभव नहीं है। श्री पासवान द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में यह भी उल्लेख किया कि निगरानी विभाग द्वारा दो वर्षों में 20 प्रतिशत क्षरण होने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

9. श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। अभियंता प्रमुख द्वारा इसकी समीक्षा मुख्य अभियंता–2 से करायी गयी। मुख्य अभियंता–2 द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि श्री पासवान पर मिट्टी क्षरण के कारण हुई क्षति का आरोप सुस्पष्ट प्रतीत नहीं हो पा रहा है फिर भी इसके लिए जिला नीलाम वाद पदाधिकारी, कटिहार द्वारा मुकदमा सं0–06/12–13 में दिनांक 26.11.2014 को पारित आदेश के आलोक में श्री पासवान द्वारा दिनांक 29.06.2015 को रू0–156349/– में जमा करा दिया गया है। इस प्रकार इनके विरूद्ध वर्तमान में वित्तीय क्षति का मामला बनता

प्रतीत नहीं हो रहा है। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्य अभियंता–2 के उक्त मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई एवं विभागीय कार्यवाही अलग–अलग प्रावधानों के तहत किया गया है। अतएव विभागीय कार्यवाही के उपरान्त शास्ति के अधिरोपन से Double Jeopardy का मामला नहीं बन सकता है। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 1622057 दिनांक 06.03.2023 से मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री पासवान द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गयी है, जिसके लिए वे मामले में दोषी हैं।

11. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन सहायक अभियंता, प्रखंड बरारी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत एक वर्ष के लिए 2 (दो) प्रतिशत पेंशन की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

12. उक्त विनिश्चय दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 4353 अनु0 दिनांक 21.04.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2051 दिनांक 07.08.2025 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

13. अतः श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन सहायक अभियंता, प्रखंड बरारी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) **एक वर्ष के लिए 2 (दो) प्रतिशत पेंशन की कटौती**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/8/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–483/2011 9094 /पटना, दिनांकः– 22-8-25

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

21/8/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–483/2011 9094 /पटना, दिनांकः– 22.8.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–483/2011 9094 /पटना, दिनांकः– 22.8.25

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को उनके पत्रांक 2051 दिनांक 07.08.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः–3/अ०प्र०–1–483/2011 9094 /पटना/दिनांकः– 22.8.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/निगरानी विभाग/जिला पदाधिकारी, कटिहार/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–1–483/2011 9094 /पटना/दिनांकः– 22.8.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार/प्रशाखा पदाधिकारी–5/आई०टी० मैनेजर/श्री अशोक कुमार पासवान, तदेन सहायक अभियंता, प्रखंड बरारी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, कटिहार, पत्रचार का पता–ग्राम–विसाय टोला, पोस्ट+थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर, पिनकोड–853204 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

https://rwd.bihar.gov.in
https://rwd.bihar.gov.in